पत्रांकः–14 / डी0एल0ए0 / NHAI–विविध–09 / 2023............85...............

Email

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

प्रेषक,

सुशील कुमार, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता / सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी / सभी सक्षम प्राधिकार भूमि अर्जन (CALA) बिहार।

पटना–15, दिनांकः–...19.01.24

विषयः– **The National Highways Act, 1956 की धारा–3G के अनुपालन के संबंध में।**

प्रसंगः– **मुख्य सचिव, बिहार के पत्रांक–8111 / जे0 दिनांक–17.10.2024**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र जो कि सभी प्रमण्डलीय आयुक्तो को संबोधित है, कि छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। पत्र की विषय वस्तु The National Highways Act, 1956 की धारा–3G के अनुपालन हेतु सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को उनके क्षेत्राधिकार के जिलों से संबंधित मामले के निष्पादन हेतु मध्यस्थ (ARBITRATOR) नियुक्त किया गया है एवं उनको को प्रत्योजित शाक्ति के अनुपालन से संबंधित है।

अनुरोध है कि प्रासंगिक पत्र से निर्गत निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
(हस्ताक्षर) 19/1/24
(सुशील कुमार)
निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

ज्ञापांक–.......85...... / रा0, पटना, दिनांकः–..19.01.24..

प्रतिलिपि–विभागीय आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु अनुलग्नक की प्रति के साथ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 19/1/24
निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

E-Mail

ACS, Revenue

मुख्य सचिव कोषांग, बिहार

अत्यावश्यक 17 OCT 2023

ई-मेल

पत्र संख्या-ए0बी0डी0जी0ओ0-11/2023......8111......./जे0

बिहार सरकार

विधि विभाग

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
बिहार।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
बिहार।

पटना, दिनांक......17-10-23.....

विषयः- The National Highways Act, 1956 की धारा-3G के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंगः- विद्वान महाधिवक्ता, बिहार का पत्रांक-19744, दिनांक-14.09.2023

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विद्वान महाधिवक्ता, बिहार के प्रासंगिक पत्र दिनांक-14.09.2023 की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना संख्या-2282, दिनांक-21.06.2018 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 (1956 का 48) की धारा-3G की उपधारा-5 के तहत भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित मुआवजा भुगतान के मामलों में विवादों के निष्पादन हेतु राज्य के सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों को उनके क्षेत्राधिकार के जिलों से संबंधित मामलों के निष्पादन हेतु मध्यस्थ (Arbitrator)नियुक्त किया गया है।

प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि प्रमण्डलीय आयुक्तों द्वारा वैसे मामलों को जिनमें उन्हें मध्यस्थ के रूप में आदेश पारित करना है, भू-अर्जन के सक्षम प्राधिकार यथा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी अथवा समाहर्त्ता को रिमाण्ड कर दिया जाता है, जिसके कारण भविष्य में कई कानूनी जटिलताएँ उत्पन्न होती है। वस्तुतः प्रमण्डलीय आयुक्त-सह-मध्यस्थ को ऐसे मामलों में संबंधित अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के तहत स्वयं आदेश पारित करना है न कि यह जिम्मेवारी भू-अर्जन के सक्षम प्राधिकार को शिफ्ट करना है।

P.T.O

यहाँ यह उल्लेख करना अनुपयुक्त नहीं होगा कि यह सुख्यात विधिक सिद्धांत है कि प्रत्यायोजित शक्तियों का आगे प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं देश के अन्य भिन्न-भिन्न उच्च न्यायालय इस सिद्धांत को महत्व देते है कि ***"Delegatus Non-Potest Delegare"***अर्थात् ऐसे प्राधिकार को या व्यक्ति को जिसे कोई आदेश करने या निर्णय करने की शक्तियों को प्रत्यायोजित किया गया है, वह आगे इसका प्रत्यायोजन नहीं कर सकता, जबतक कि संविधि द्वारा अभिव्यक्ततः प्रत्यायोजन का अधिकार नहीं दिया गया हो। इस संबंध में स्वयं माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने अश्वनी रंजन बनाम् बिहार राज्य सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या-1196/2018 में दिनांक-29.08.2018 को ऐसे भिन्न-भिन्न याचिकाओं का एक साथ निस्तारण करते हुए इस सिद्धांत पर बल दिया है कि प्रत्यायोजिती आगे किसी भी प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रत्यायोजन नहीं कर सकता। इस संबंध में जहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत अधिसूचना संख्या-2282 दिनांक-21.06.2018 द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त को उक्त शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है और उक्त अधिनियम में प्रमंडलीय आयुक्त को कहीं भी ऐसा अधिकार नहीं दिया गया है कि वे उन कार्यों को किसी अन्य प्राधिकार या अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकते है। इसलिए प्रमंडलीय आयुक्त को अपना कार्य भू-अर्जन के सक्षम प्राधिकार अथवा समाहर्त्ता को देना विधिक दृष्टि से अनुकूल नहीं होगा।

वर्णित स्थिति में सभी प्रमण्डलीय आयुक्त-सह-मध्यस्थ से अनुरोध है कि ऐसे सभी मामलों में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 के प्रावधानों, विशेष रूप से धारा-3G की उपधारा-5 का दृढ़तापूर्वक अनुपालन करते हुए स्वयं आदेश पारित किया जाय।

अनु0:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

(मुख्य सचिव) 16.10.2023

बिहार।

P.T.O

(20)

ज्ञापांक-........8111........./जे0, पटना, दिनांक-....17-10-23

प्रतिलिपिः-विद्वान महाधिवक्ता, बिहार के आप्त सचिव को प्रासंगिक पत्रांक-19744, दिनांक-14.09.2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(रमेश चन्द मालवीय)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-........8111........./जे0, पटना, दिनांक-....17-10-23

प्रतिलिपिः-अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, भू-अर्जन, बिहार, पटना को अनुलग्नक सहित सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु0:- यथोक्त।

(रमेश चन्द मालवीय)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-........8111........./जे0, पटना, दिनांक-....17-10-23

प्रतिलिपिः-सभी समाहर्त्ता, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द मालवीय)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-........8111........./जे0, पटना, दिनांक-....17-10-23

प्रतिलिपिः-मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

17/10/23

(रमेश चन्द मालवीय)
सरकार के सचिव, बिहार।

16/10/23

19

Letter No. 19744 /Patna Dated 14.09.2023

Office of the Advocate General, Bihar

High Court, Patna

From,

Shri Prashant Kumar Shahi,

The Advocate General, Bihar

To,

The Chief Secretary, Government of Bihar, Patna.

Sub: Compliance of Section 3G of National Highway Act, 1956 in land acquisition matter.

I have come across two orders passed by Divisional Commissioner, Munger and Arbitrator-cum-Commissioner, Magadh Division, Gaya. In both the orders Commissioner has remanded the matter for consideration by the District Collector with a direction to consider the objection of raiyats and after disposal and after taking into consideration legal provision and materials made available by N.H.A.I. to determine the nature of land and payable compensation in accordance with Section 3G of the Act. On reading of Section 3G(5) of National Highway Act, 1956, it is apparent that at the initial stage where any land is acquired, the compensation amount has to be determined by an order of the competent authority (CALA). Under sub-section 5, it is provided that if the amount determined by competent authority under sub-section 1 or sub-section 2 is not acceptable to either of the parties, the amount shall, on an application by either of the parties, be determined by the Arbitrator to be appointed by the Central Government. The Central Government has authorized Commissioner of the Divisions to act as Arbitrator for exercise of power under section 3G(5) of N.H. Act, 1956.

Therefore, it is apparent that if the compensation amount determined by CALA is not acceptable to either of the parties, it is the duty of the Arbitrator-cum-Commissioner in exercise of power conferred under Section 3G(5) of the Act to determine the amount of compensation in accordance with the provisions of the Act. The Arbitrator-cum-Commissioner is not expected to abdicate his responsibilities in favour of CALA or the Collector of the district.

On account of failure to exercise the authority vested under the Act, legal complications are arising. Therefore, it is apt that an advisory may be issued to all Divisional Commissioner to scrupulously follow the provisions contained in N.H. Act, 1956 particularly section 3G(5) of the Act. For your convenience the orders passed by the Divisional Commissioner, Munger and Arbitrator-cum-Commissioner, Magadh Division, Gaya is enclosed with this letter.

P.K. Shahi 13.9.23

(Prashant Kumar Shahi)

Advocate General, Bihar

E-Mail

Letter No. 19744/Patna Dated 14.09.2023

Office of the Advocate General, Bihar

High Court, Patna

From,

Shri Prashant Kumar Shahi,

The Advocate General, Bihar

To,

The Chief Secretary, Government of Bihar, Patna.

Sub: Compliance of Section 3G of National Highway Act, 1956 in land acquisition matter.

I have come across two orders passed by Divisional Commissioner, Munger and Arbitrator-cum-Commissioner, Magadh Division, Gaya. In both the orders Commissioner has remanded the matter for consideration by the District Collector with a direction to consider the objection of raiyats and after disposal and after taking into consideration legal provision and materials made available by N.H.A.I. to determine the nature of land and payable compensation in accordance with Section 3G of the Act. On reading of Section 3G(5) of National Highway Act, 1956, it is apparent that at the initial stage where any land is acquired, the compensation amount has to be determined by an order of the competent authority (CALA). Under sub-section 5, it is provided that if the amount determined by competent authority under sub-section 1 or sub-section 2 is not acceptable to either of the parties, the amount shall, on an application by either of the parties, be determined by the Arbitrator to be appointed by the Central Government. The Central Government has authorized Commissioner of the Divisions to act as Arbitrator for exercise of power under section 3G(5) of N.H. Act, 1956.

Therefore, it is apparent that if the compensation amount determined by CALA is not acceptable to either of the parties, it is the duty of the Arbitrator-cum-Commissioner in exercise of power conferred under Section 3G(5) of the Act to determine the amount of compensation in accordance with the provisions of the Act. The Arbitrator-cum-Commissioner is not expected to abdicate his responsibilities in favour of CALA or the Collector of the district.

On account of failure to exercise the authority vested under the Act, legal complications are arising. Therefore, it is apt that an advisory may be issued to all Divisional Commissioner to scrupulously follow the provisions contained in N.H. Act, 1956 particularly section 3G(5) of the Act. For your convenience the orders passed by the Divisional Commissioner, Munger and Arbitrator-cum-Commissioner, Magadh Division, Gaya is enclosed with this letter.

P.K. Shahi
13.9.23

(Prashant Kumar Shahi)

Advocate General, Bihar

Schedule XLII-High Court No.(J) 9[O1.3(M)164]

ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, MUNGER

भूमि अधिग्रहण वाद सं0–142/2022

मुरलीधर मंडल एवं अन्य बनाम जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मुंगेर एवं अन्य

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	18.04.2023	**आदेश** वादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मुंगेर, परियोजना निदेशक, एन0एच0ए0आई0, मुंगेर की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता उपस्थित। प्रस्तुत मामला मिर्जाचौकी फोरलेन परियोजना के निमित्त सरकार द्वारा ली जा रही भूमि के मुआवजा भुगतान की राशि पर हितबद्ध रैयतों की आपत्ति के संबंध में है। विदित हो कि अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में मिर्जाचौकी फोरलेन परियोजना से संबंधित कई सदृश्य मामले दर्ज किये गये हैं, जिसमें कुछ मामलों यथा भूमि अधिग्रहण वाद सं0–76/2022, अंजनी कुमार सिंह एवं अन्य बनाम जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मुंगेर आदि मामलों में पूर्व में ही आदेश पारित किया जा चुका है, जिसका Operative part निम्नवत् है:– "NH Act-1956 के प्रावधानों के तहत् धारा 3A के आलोक में अधिसूचना प्रकाशित की गई तथा स्थलीय निरीक्षणोपरान्त मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया, जिसके बाद हितबद्ध रैयतों द्वारा मुआवजा राशि पर अपना दावा आपत्ति सक्षम प्राधिकार के समक्ष समर्पित किया गया। उन आपत्तियों का संबंधित पक्षों को सुनवाई का मौका देकर विधिवत् निराकरण नहीं किया गया है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेज से यह भी स्पष्ट होता है कि तत्कालीन समाहर्ता की अध्यक्षता में गठित छः सदस्यीय समिति के प्रत्येक सदस्य का हस्ताक्षर स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन पर अंकित नहीं है। उक्त प्रतिवेदन पर मात्र तीन ही पदाधिकारी यथा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मुंगेर, अवर निबंधक, मुंगेर एवं अंचलाधिकारी, मुंगेर का ही हस्ताक्षर अंकित है, शेष तीन पदाधिकारी यथा अनुमंडल पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, मुंगेर एवं समाहर्ता–सह–अध्यक्ष, मुंगेर का हस्ताक्षर अंकित नहीं है। बतौर अध्यक्ष समाहर्ता, मुंगेर सहित तीन अन्य वरीय पदाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर न होना उक्त प्रतिवेदन की सार्थकता को नियमानुसार स्थापित नहीं करता है। वर्णित तथ्यों के आलोक में सक्षम पदाधिकारी–सह–जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा अधिग्रहित भूमि के बदले मुआवजा राशि निर्धारण से संबंधित प्रकाशन को Set aside किया जाता है। साथ ही जिला पदाधिकारी, मुंगेर को आदेश दिया जाता है कि वे तत्समय हितबद्ध रैयतों द्वारा समर्पित दावा आपत्तियों के आलोक में उसका निराकरण करते हुए उपलब्ध साक्ष्य (तत्कालीन छः सदस्यीय समिति का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन, उस समय कराई गई स्टील फोटोग्राफी/विडियोग्राफी एवं गुगल	Contrary to Section 3(G)(5) of the N.H.Act 1956

Sd/-

Serial No.	Date of order of Proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
		मैप तथा NHAI की ओर से कराई गई ड्रोन विडियो आदि उपलब्ध सभी साक्ष्यों) के आधार पर एक बार पुनः छः सदस्यीय समिति में नामित पदेन सदस्यों की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण कराते हुए वर्ष 2018 में (3A अधिसूचना के समय) इस वाद से संबंधित अधिग्रहित भूमि के किस्म का निर्धारण कर सक्षम पदाधिकारी के माध्यम से मुआवजा भुगतान हेतु राशि का निर्धारण सुनिश्चित कराऐंगे तथा NH Act-1956 की धारा 3G के प्रावधानों के तहत् पुनः सूचना का प्रकाशन कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त कार्रवाई के निष्पादन हेतु एक माह की समय–सीमा निर्धारित की जाती है। इस आदेश के साथ वाद की कार्यवाही निष्पादित की जाती है।" चूँकि प्रस्तुत मामला भी उपर्युक्त मामलों (भूमि अधिग्रहण वाद सं0–76/2022, अंजनी कुमार सिंह एवं अन्य) के सदृश्य है इसलिये उपर्युक्त मामले (भूमि अधिग्रहण वाद सं0–76/2022, अंजनी कुमार सिंह एवं अन्य) में पारित आदेश को इस मामले में भी यथावत रखते हुए इस वाद की कार्यवाही निष्पादित की जाती है। आयुक्त मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर। **आयुक्त न्यायालय, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर।** (विधि शाखा) ज्ञापांक– 2400 दिनांक– 21/04/2023 प्रतिलिपि :–जिला पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रतिलिपि :–जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रतिलिपि :–परियोजना निदेशक, एन0एच0ए0आई0, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। 21-04-23 आयुक्त के सचिव, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर।	

न्यायालय, आरबिट्रेटर–सह–आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया।

आरबिट्रेशन वाद सं०–621/2018

अनीता देवी

सक्षम प्राधिकारी–सह–जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गया एवं अन्य

आदेश की सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

आदेश

प्रस्तुत वाद श्रीमती अनीता देवी, पति–सुनील सिंह, ग्राम–सिलौंजा, टोला–लालगंज, पो०+थाना–बेलागंज, जिला–गया द्वारा NH-83 के चौड़ीकरण हेतु राजस्व मौजा–सिलौंजा, थाना नं०–415, अंचल–बेलागंज स्थित खाता सं०–125, खेसरा सं०–2555 में अपनी 1.605 डि० अधिग्रहित भूमि के वर्गीकरण एवं तदनुसार मुआवजा निर्धारण के विरूद्ध NH Act-1956 की धारा–3G(5&6) के तहत दिनांक–28.08.2018 को तत्कालीन आरबिट्रेटर–सह–अपर समाहर्त्ता, गया के न्यायालय में वाद सं०–457/2017–18 के रूप में दाखिल किया गया था, जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक–2282, दिनांक–21.06.2018 सहित निदेशक (भू–अर्जन), बिहार, पटना के पत्रांक–957/रा०, दिनांक–27.07.2018 के आलोक में हस्तानान्तरण उपरांत अग्रेत्तर सुनवाई एवं निष्पादन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

अभिलेख की प्राप्ति उपरांत कार्यालय पत्र सं०–65/विधि, दिनांक–14.01.2019 द्वारा सम्बंधित प्रतिवादीगण को नोटिस निर्गत कर वादी के वाद आवेदन में वर्णित तथ्यों एवं माँगे गए अनुतोष के बिन्दु पर विधिसम्मत् पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निदेशित करते हुए समसंख्यक ज्ञापांक–दिनांक से वादी को भी संसूचित किया गया, ताकि उभय पक्षों को सुनकर प्रश्नगत आरबिट्रेशन वाद का युक्तियुक्त निस्तारण किया जा सके।

विभिन्न निर्धारित तिथियों को वादी एवं प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने अपना–अपना पक्ष प्रस्तुत किया। निदेशानुसार वादी की ओर से Notes of Argument प्राप्त एव संधारित है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने वाद आवेदन, दिनांक–28.08.2018 को प्रचारित करते हुए न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रस्तुत किया कि NH-83 के चौड़ीकरण हेतु मौजा–सिलौंजा स्थित खेसरा सं०–2555 में वादी की अधिग्रहित भूमि की प्रकृति आवासीय–सह–व्यवसायिक होने के बावजूद सक्षम प्राधिकारी–सह–जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गया द्वारा भू–अर्जन वाद संख्या–47/2013–14 के माध्यम से अधिग्रहित भूमि को धनहर भूमि के रूप में वर्गीकृत करते हुए अपर्याप्त मुआवजा का निर्धारण किया गया है, जो भू–अर्जन सम्बंधी स्थापित नियमों एवं प्रावधानों के विपरीत होने के कारण वादी के लिए स्वीकार योग्य नहीं है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता का आगे कहना है उनकी अधिग्रहित भूमि पटना–डोभी मुख्य सड़क अर्थात NH-83 के किनारे अवस्थित बहुद्देशीय किस्म की बहुमूल्य भूमि है, जिसपर अधिसूचना/अधिघोषणा प्रकाशन के पूर्व से ही खपड़ापोश मकान निर्मित एवं आयासित रहने के बावजूद सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसे धनहर भूमि का मुआवजा निर्धारित किया गया है, जिसके कारण वादी को न केवल आर्थिक क्षति हुई है, बल्कि NH प्राधिकरण द्वारा इस आवासीय मकान को ध्वस्त कर दिए जाने के फलस्वरूप वादी के समक्ष आवासन की भी गंभीर समस्या उत्पन्न है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार राजस्व मौजा–सिलौंजा, बेलागंज प्रखंड मुख्यालय के निकट अवस्थित एक विकासशील गाँव है, जहाँ विभिन्न लाईन होटल के अतिरिक्त अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान एवं आवासीय मकान इत्यादि अवस्थित रहने के फलस्वरूप मौजा–सिलौंजा में मुख्य सडक के किनारे अवस्थित रैयती भूमि की खरीद–बिक्री हेतु निर्धारित बाजार मूल्य (MVR) के आधार पर मुआवजा का निर्धारण किया जाना न्यायहित में आवश्यक है, जैसा कि RFCTLARR Act-2013 के नियम–26 में भी प्रावधानित है।

उक्त संदर्भ में वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वादग्रस्त अधिग्रहित भूमि की Existing Potentiality & Probability को दृष्टिपथ रखते हुए इसे आवासीय भूमि के रूप में पुर्नवर्गीकृत कर अधिसूचना प्रकाशन के समय सरकार द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य के आधार पर अन्य लाभ सहित अधिग्रहित भूमि तथा इसपर निर्मित आवास का मुआवजा निर्धारण हेतु अनुरोध किया गया है।

इस कार्यालय के पत्रांक–65 / विधि दिनांक 14 01 2019 के आलोक में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गया के पत्रांक–1203 / भू०अ० दिनांक–24 11.2021 से प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया जिसमें उल्लिखित है कि NH Act-1956 की धारा–3A एवं 3D के तहत अधिसूचना / अधिघोषणा प्रकाशन के समय अधिग्रहित भूमि का किस्म इमारत दर्ज रहने के परिप्रेक्ष्य में समुचित मुआवजा निर्धारित किया गया है। जहाँ तक संरचनाधारित वादग्रस्त भूमि का धनहर भूमि की भूमि के रूप में वर्गीकृत करने सम्बन्धी वादी की आपत्ति का प्रश्न है, तो इस बिन्दु पर जिला भू अर्जन पदाधिकारी गया द्वारा अपने प्रतिवेदन में यथापेक्षित स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है।

उक्त संदर्भ में NH–83 के विद्वान प्रतिनिधि अधिवक्ता द्वारा समर्पित प्रतिउत्तर का अवलोकन किया, जिसमें अन्य बिन्दुओं सहित NH Act 1956 के नियम (2)(IV) एवं Bihar Agriculture land (Conversion for non-agriculture purposes) Act-2010 की धारा 03 को संदर्भित करते हुए वादी के वाद आवेदन को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया है, जबकि वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा Coversion Act-2010 को विषयाधीन मामले में अप्रासंगिक बताया गया है।

उभय पक्ष को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजात के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधिसूचना / अधिघोषणा प्रकाशन के समय मौजा–सिलौंजा, थाना नं०–415, अंचल–बेलागंज स्थित खसरा सं०–2555 में अधिग्रहित भूमि की प्रकृति पुराने राजस्व अभिलेख के अनुसार निर्धारित की गई है, जबकि वादी के द्वारा अधिग्रहित भूमि की Existing Potentiality & Probability के आधार पर आवासीय–सह–व्यवसायिक भूमि के रूप में पुनर्वर्गीकृत कर संशोधित मुआवजा निर्धारण हेतु न्यायालय से अनुरोध किया गया है।

उल्लेखनीय है कि सरकार के प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–150 / रा०, दिनांक–15.02.2018 की की कंडिका–4(1) के अनुसार सरकारी प्रयोजन के लिए अर्जनाधीन भूमि का वर्गीकरण सामान्यतः अधिसूचना प्रकाशन के समय इसके स्वरूप एव उपयोग के आधार पर किया जाना है। वस्तुतः अधिसूचना प्रकाशन के समय अधिग्रहित भूमि इमारत के रूप में दर्ज थी तथा इसपर वादी का आवासीय संरचना अवस्थित था, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा भू–धारी को मुआवजा राशि का भुगतान भी किया गया है। ऐसी स्थिति में पक्की सड़क के किनारे अवस्थित एवं संरचनाधारित मात्र 1.605 डि० भूमि को धनहर भूमि के रूप में वर्गीकृत किया जाना प्रथमदृष्टया युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः ऊपर वर्णित तथ्यों एवं अभिलेख में उपलब्ध प्रतिवेदन / प्रतिउत्तर सहित अन्य प्रासंगिक बिन्दुओं पर सम्यक विचारणोपरांत सक्षम प्राधिकारी (NH-83)–सह–जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गया को निदेश दिया जाता है कि वादी से समन्वय स्थापित कर अधिग्रहित भूमि के Existing geographical situation, Existing use of the land at the time of nitifcation U/s 3A, Already available advantages, like proximity to National or State Highway or road and/ or developed area & Market value of other lands situated in the same locality/ village/area or adjacent or very near to the acquired land, reported construction upon the acquired land की संरचनाधारित स्थिति– परिस्थिति को दृष्टिपथ रखते हुए RFCTLAR ACT 2013 के नियम 26 सहित अन्य सुसंगत नियमों / प्रावधानों के आलोक में यथानुरोधित आवश्यक कार्रवाई की जाय, ताकि वादी के हित संरक्षण सहित जनोपयोग की महत्वकांक्षी परियोजना के क्रियान्वयन में अनावश्यक व्यवधान की स्थिति उत्पन्न नहीं हो।

इस आदेश / विनिश्चय की एक प्रति वादी सहित सक्षम प्राधिकारी (NH-83)–सह–जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गया एवं परियोजना निदेशक, (NH-83), गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई निबंधित डाक से भेजते हुए निष्पादित अभिलेख को यथास्थान संधारित रखा जाय। प्रतिवादी पक्ष इस आदेश / विनिश्चय से असंतुष्ट होने की स्थिति में विधि द्वारा स्थापित सक्षम न्यायालय की शरण में जाने के लिए स्वतंत्र हैं।

लेखापित एवं संशोधित

आरबिट्रेटर–सह–आयुक्त,
मगध प्रमंडल, गया।

आरबिट्रेटर–सह–आयुक्त,
मगध प्रमंडल, गया।

Fwd: pfa

From : legalcoordinationcellago@gmail.com Thu, Sep 14, 2023 12:55 PM
Subject : Fwd: pfa 1 attachment
To : Chief Secretary Bihar <cs-bihar@nic.in>

---------- Forwarded message ---------
From: **Amit Jha** <agofficenew@gmail.com>
Date: Thu, 14 Sept 2023 at 12:16
Subject: pfa
To: cs-bihar <cs-bihar@nic.in>
Cc: <legalcoordinationcellago@gmail.com>

Note::- Please do not reply to this email id.

OFFICE OF THE ADVOCATE GENERAL, BIHAR
PATNA HIGH COURT

19744.PDF
143 KB

letter no-8111 dated-17.10.2023

From : secy law <secy_law@bihar.gov.in> Tue, Oct 17, 2023 03:39 PM

Subject : letter no-8111 dated-17.10.2023 1 attachment

To : agofficenew@gmail.com, legalcoordinationcellago@gmail.com, Revenue & Land Reforms Dept, Bihar <revenue-bih@gov.in>, Chief Secretary Bihar <cs-bihar@nic.in>

letter no-8111 dated-17.10.2023

pfa......

--

--

With Regards...

Law Department
Bihar, Patna.

8111.pdf
366 KB